यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, **जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी** के माह 04/2016 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रहलाद सिंह ,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रविन्द्र कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 28.05.2018 से 31.05.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की पृथक रूप से की जाने वाली प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2016 से 04 /2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. **(**i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी

(अ) आहरण वितरण अधिकारी का पद मार्च 2016 से अस्तित्व में आने के पश्चात् इकाई की पृथक रूप से की जाने वाली प्रथम लेखापरीक्षा है तथा तदनुसार विगत दो वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वित्तीय वर्ष 2016-17			
लेखा शीर्ष	प्राप्त बजट	व्यय बजट	अभ्यर्पण
2202 0110403 (अधिष्ठान)	5779000	5126570	652430
2515001029111 जिला) योजना(	6800000	6800000	0
2202 0110107 खेल) प्रतियोगिता(	75000	75000	0
42020120103 बृहद) निर्माण(	514400	514400	0
पेंशन.एफ.पी.जी /	00	1206755	0
योग	**13168400**	**13722725**	**652430**

वित्तीय वर्ष 2017-18			
लेखा शीर्ष	प्राप्त बजट	व्यय बजट	अभ्यर्पण
2202 0110403 (अधिष्ठान)	6998000	6985275	12725
2515001029111 जिला) योजना(	10679000	10679000	0
2202 0110107 खेल) प्रतियोगिता(	75000	75000	0
42020120103 बृहद) निर्माण(	1208824	1208824	0
पेंशन.एफ.पी.जी /	00	1100000	0
योग	**18960824**	**20048099**	**12725**

ब - (केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत इकाई को प्राप्त धनराशि -शून्य

(ii) इकाई को बजट आवंटन (निदेशक शिक्षा) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई,“ सी ”श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. महानिदेशक, शिक्षा
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा
3. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी
5. जिला शिक्षा अधिकारी,प्रारम्भिक शिक्षा
6. उप शिक्षा अधिकारी बेसिक, बी. आर. सी.
7. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी एस. एस. ए.

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय**, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, **जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12/2017 तथा 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II ‘ब’

प्रस्तरः-1 ग्राहक विभाग (इकाई) द्वारा निर्माण एजेंसी के पक्ष में निक्षेप निर्माण कार्यों का निष्पादन कराये जाने हेतु अग्रिम की धनराशि का अधिक भुगतान ₹₹ 50.69 लाख।

लोक निर्माण विभाग मैनुअल के अनुसार निक्षेप कार्यों के सन्दर्भ में ग्राहक विभाग द्वारा किसी निर्माण एजेंसी से कराये जाने वाले निक्षेप कार्यो हेतु निर्माण कार्य की प्राकलित अनुमान की एक तिहाई धनराशि अग्रिम रूप से कार्यकारी विभाग के पक्ष में प्रेषण/ निक्षेप किया जाना चाहिए था।

प्राकलित अनुमान की एक तिहाई धनराशि अग्रिम रूप से कार्यकारी विभाग द्वारा प्राप्त किये जाने के पश्चात् निर्माण कार्य निष्पादन किये जाने हेतु निविदा आदि आमंत्रित किये जाने की औपचारिकतायें पूर्ण कर मैनुअल के अनुसार कार्य आरंभ किया जाना अपेक्षित था।

कार्य आरम्भ के पश्चात् ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गए चल लेखा बिलों (Running Account Bills) के आधार भुगतान किये जाने हेतु धनराशि की मांग कार्यकारी विभाग द्वारा की जानी अपेक्षित थी।

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, उत्तरकाशी के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राहक विभाग (इकाई) द्वारा निर्माण एजेंसी के पक्ष में निक्षेप निर्माण कार्यों का निष्पादन कराये जाने हेतु अग्रिम की धनराशि का भुगतान निम्ननुसार किया गया -

क्रम सं.	वाउचर संख्या	दिनांक	भुगतान की गई धनराशि (₹)	अग्रिम हेतु अपेक्षित अनुमानित राशि का एक तिहाई) (₹) में	अधिक भुगतान (₹) में
01	B25150012	08.12.2017	1817000	599610	1217390
02	B25150010	08.12.2017	4296000	1417680	2878320
03	B25150011	08.12.2017	200000	66000	134000
04	B25150051	09.03.2018	1254000	413820	840180
		Total	7567000	2497110	**5069890**

कुल ₹ 7567000 का निक्षेप निर्माण एजेंसी (ग्रामीण निर्माण विभाग) के पक्ष में किया गया; जबकि उपरोक्त नियामानुसार इकाई द्वारा निर्माण एजेंसी के पक्ष में लगभग ₹ 2497110 ही अग्रिम रूप से जमा किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार इकाई द्वारा ग्रामीण निर्माण विभाग के पक्ष में (₹7567000-₹2497110=**5069890**) का अधिक भुगतान किया गया जो उपरोक्त नियमानुसार अनियमित हुआ।

इस सम्बन्ध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में कहा गया कि नियमों की जानकारी के आभाव में भुगतान किया गया भविष्य में अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लेखित नियमों के आधार पर व्यय किया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं था; क्योंकि नियमों की जानकारी के आभाव की अपेक्षा इकाई से नहीं की जाती है। अतः ₹ ₹ **5069890** के अनियमित व्यय का प्रकरण, प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	अवधि	भाग-II‘ब’ प्रस्तर संख्या
इकाई की स्वतंत्र रूप से की गई प्रथम लेखापरीक्षा है अतः ।अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या शून्य समझी जाये ।		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की स्वतंत्र रूप से की गई प्रथम लेखापरीक्षा है । अतः अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या शून्य समझी जाये ।				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----शून्य--

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, **जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

2. **सतत् अनियमितताएः**

   -- शून्य --

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्र0 स0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1	श्री धर्म सिंह रावत	जिला शिक्षा अधिकारी	22.09.2015 से 05.10.2016
2	श्री अनिल कुमार	जिला शिक्षा अधिकारी	06.10.2016 से 22.11.2016
3	श्रीमती हेमलता गौड़	जिला शिक्षा अधिकारी	23.11.2016 से 21.05.2017
4	श्री रायसिंह रावत	जिला शिक्षा अधिकारी	22.05.2017 से अव तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, **जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित की जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून को प्रेषित कर दी जाएगी।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.